रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

23/4/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 136] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 1986/फाल्गुन 28, 1907
NO. 136] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 1986/PHALGUNA 28, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1986

अधिसूचना

सं. 199/86—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 509(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.

175/86 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण 2 में, "जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्समय प्रवृत्त", शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"जिस पर शून्य दर से शुल्क प्रभार्य है या जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई।"

[फा.सं. बी-21/1/86-टी.आर.यू.]

के.एस. वेंकटगिरि, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 19th March, 1986

NOTIFICATION

No. 199|86-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 509(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) or rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 175|86-Central Excises, dated the 1st March, 1986, namely :—

In the said notification, in Explanation II, after the words "the clearances of any excisable goods", the words "which are chargeable to nil rate of duty or" shall be inserted.

[F. No. B. 21|1|86-TRU]

K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986